न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 156/2015

पूसानाथ पुत्र सुन्दरनाथ जाति नाथ निवासी गनाहेडा आसन कहारों का मौहल्ला पानी की टंकी के पास तहसील पुष्कर जिला अजमेर

.....**प्रार्थी**

बनाम

1– मदन पुत्र नाथू
2– उगमा पुत्र नाथू
3– पांचू पुत्र नाथू
4–कमला पुत्री नाथू
5–प्रभाती पत्नी मोहन
6–शिवलाल पुत्र मोहन
7–कानसिंह पुत्र मोहन
8–गुमानी पुत्री मोहन
9–सोना पुत्री मोहन
समस्त जाति भांबी निवासीगण गनाहेडा आसन कहारो को मौहल्ला पानी की टंकी के पास तहसील पुष्कर जिला अजमेर
10–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर

.....**अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 20(2) सपठित नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970 विरूद्व निर्णय आवंटन कमेटी अजमेर दिनांक 24.05.1984

———

उपस्थित :–

1. श्री ओम प्रकाश गुर्जर,	राजकीय अभिभाषक
2. श्री शांति प्रकाश औझा	अभिभाषक प्रार्थी
3. श्री अजीत सिंह राठौड	अभिभाषक अप्रार्थी 2,3,5

–: आदेश :–

दिनांक– 20.10.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवंटन अप्रार्थीगण के को ग्राम गनाहेडा तहसील पुष्कर जिला अजमेर चौसाला खसरा नम्बर 212 रकबा 0–03–10, खसरा नम्बर 215 रकबा 0–18–0 तथा 224 रकबा 2–14–0 दिनांक 24.05.1984 को नियमन की गई थी। आवंटित/नियमन भूमि का कब्जा प्रार्थी का है प्रार्थी वर्ष 1975 से काबिज चला आ रहा है जिस पर लाखो रूपये लगाकर टीले समान आराजी को समतल कर उपजाऊ बनाया तत्पश्चात खेती की तथा जामुन, आंवला, नींबू के वृक्ष लगाये है, जो लगभग 50 है तथा गुलाब की खेती की है इसलिये विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण के पूर्वज छोटू व उसके वारिसान का कभी

जिला कलक्टर
अजमेर

कब्जा नहीं रहा उसके बावजूद भी छोटू का नियमन किया गया व निरस्त करने हेतु
कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(2) की पालना नहीं करने कारण
अप्रार्थीगण के पक्ष में किया गया पत्रावली भूमि का आवंटन/नियमन निरस्त किया
जाकर भूमि सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के नाम
नोटिस जारी किया गया। नोटिस बाद तामील पाया। अप्रार्थी 1, 4 व 6 से 9 बावजूद
सूचना उपस्थित नहीं। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। जवाब प्रार्थना
पत्र प्रस्तुत किया गया। पत्रावली बाद बहस नियत की गई। उपस्थित उभय पक्ष की
बहस सुनी गई।

प्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते
हुए व्यक्त किया कि वर्तमान आराजी हाल खसरा नम्बर 216 रकबा 0.1800, खसरा
नम्बर 359 रकबा 0.1800, खसरा नम्बर 360 रकबा 0.2400 कुल किता 3 कुल रकबा
0.5800 जो ग्राम पनोतिया तहसील पुष्कर में स्थित है जो वर्तमान में अप्रार्थीगण की
खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के पू. संशोधन सैटलमेंट जमाबंदी खसरा नम्बर 271
रकबा 3 बिस्वा 10 बिस्वांसी, खसरा नम्बर 270 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 270
रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा तथा जिसके
चौसाला जमाबंदी आराजी खसरा नम्बर 212 रकबा 3 बिस्वा 10 बिस्वांसी, खसरा
नम्बर 215 रकबा 18 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 224 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा दर्ज थे।
जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा था लेकिन छोटू पुत्र लाम्बा जी कि
अप्रार्थीगण का पूर्वज है जो बिना कब्जे के ही राजस्व अधिकारियों की सांठगांठ से
तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं नायब तहसीलदार की जांच अनुसार आवंटन
कमेटी अजमेर द्वारा दिनांक 24.05.1984 को नियमन करने के आदेश प्रदान कर दिये
तथा नामान्तकरण संख्या 338 दिनांक 18.06.1984 को नायब तहसीलदार द्वारा गैर
खातेदारी दर्ज कर दी गयी। तत्पश्चात बिना कब्जे के ही नामा0 सं0 382 दिनांक 01.
06.1992 के द्वारा गैर खतदारी से खातेदार दर्ज कर दी गयी तथा छोटू के स्वर्गवास
के पश्चात नामा0 संख्या 449 दिनांक 01.08.1992 उनकी विरासत तोफी बेवा छोटू व
नाथू, मोहन पुत्रान छोटू के नाम दर्ज कर दी गयी तथा उनकी विरासत वर्तमान
अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 के नाम दर्ज कर दी गयी जिसमें अप्रार्थीगण संख्या 1
लगायत 4 नाथू के वारीस है तथा अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 9 मोहन के वारीस है
जिनके नाम वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 में खातेदार दर्ज है जबकि
आवंटन कमेटी के नियमन आदेश दिनांक 24.05.1984 से पूर्व ही तथा आज तक
विवादित आराजी पर प्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी का कब्जा हटाने के
उद्देश्य से एक राजस्व वाद छोटू के वारीसान तोफी नाथू से प्रार्थी के विरुद्ध धारा
188 स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया था जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र संख्या
80/1993 तोफी बनाम पूरानाथ उनवान से था। उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने अपने
निर्णय दिनांक 26.06.1999 द्वारा प्रार्थी का कब्जा काश्त होना माना और प्रार्थना पत्र
खारिज कर दिया। उक्त प्रार्थना पत्र में नायब तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मांगवायी
गयी थी जो रिपोर्ट दिनांक 16.05.1998 की है साथ ही उगमा पुत्र नाथू जो वर्तमान
अप्रार्थी संख्या 2 है के बयान दिनांक 15.05.1998 तथा छोटू के पुत्र मोहन के बयान
दिनांक 15.05.1998 भी प्रार्थी के कब्जा की ताईद करते है तथा उक्त वाद दिनांक
22.09.2000 द्वारा खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात से आज तक विवादित आराजी
पर काबिज काश्त है लेकिन अप्रार्थीगण प्रार्थी को हैरान व परेशान करते रहते है तथा

जिला कलक्टर
अजमेर

बेदखल करने की धमकी देते है जबकि उक्त आराजी पर प्रार्थी ने उक्त आराजी पर जामुन, आंवला व गूंदा के लगभग 50 पेड लगा रखे है तथा आराजी के चारो ओर 4.5 फीट कच्ची मिट्टी की दीवार, जानवरो की खेती तथा पक्के कमरे निर्मित कर रखे है जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त है चूंकि अप्रार्थीगण के पूर्वज छोटू पुत्र लाखा को गलत रूप से विवादित आराजी का नियमन किया गया है जो आवंटन नियमन के प्रावधानों के विपरीत है इसलिए प्रार्थी आवंटन कमेटी के द्वारा अप्रार्थीगण के पूर्वज छोटू को किये गये नियमन आदेश दिनांक 24.05.1984 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। विवादित आराजी पर नियमन आदेश दिनांक 24.05.1984 से पूर्व प्रार्थी आवेदन कर्त्ता का कब्जा काश्त चला आ रहा था जो खसरा गिरदावरी संवत 2039 से 2042 से स्पष्ट है जिसमें उसने अलग अलग वर्ष में मोठ, गेहूं, टमाटर, गुलाब आदि काश्त की है इसलिये प्रार्थी नियमन करने का अधिकारी था लेकिन चुपचुप रूप से अप्रार्थीगण के पूर्वज छोटू ने मिलीभगत कर नियमन करवा लिया इस प्रकार उक्त नियमन आवंटन नियमो की अवहेलना करते हुए पारित किया गया है। अप्रार्थीगण के पूर्वज छोटू ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत का नियमन करवाया है छोटू ने अपने आराजी का सही अंकन नही किया था क्योंकि वह भूमिहीन नहीं था उसके पास पूर्व में काफी आराजी थी जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज से स्पष्ट है जिसके कारण उसने प्रार्थना पत्र अंकन करने में फ्रोड किया है। साथ ही पटवारी की रिपोर्ट कि वे कब्जे में है और ना ही उसके विरूद्ध कोई धारा 91 का कार्यवाही का नोटिस है और ना ही कोई भू–संशोधन में उसको खातेदारी गयी हो और भू–संशोधन को मान्यता नहीं होने के कारण विचार करना आवश्यक हो उसके बावजूद अप्रार्थीगण के पूर्वज छोटू को बिना कब्जे के नियमन करने में आवंटन कमेटी ने भारी भूल की है। प्रार्थी पूसानाथ ने विवादित आराजी खरीद की है क्योंकि विक्रेता खातेदार नानू पुत्र शम्भू बख्तावर पुत्र छीत्तर व छोगा पुत्र शम्भू ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 11.11.1975 को खसरा नम्बर 268 व 269 का बेचान प्रार्थी व संतोष नाथ को किया तथा आगे चलकर संतोष नाथ ने अपना हिस्सा प्रार्थी को बेचान कर दिया लेकिन विक्रेता का जहॉ कब्जा था वही कब्जा प्रार्थी को संभलाया गया लेकिन नक्शा तरमीम में उक्त स्थान 270 बताया है इसलिए प्रार्थी तो वर्ष 1975 से काबिज चला आ रहा है जिस पर लाखो रूपये लगाकर टीले समान आराजी को समतल कर उपजाऊ बनाया तत्पश्चात खेती की तथा जामुन, आंवला, नींबू के वृक्ष लगाये है जो लगभग 50 है तथा गुलाब की खेती की है इसलिये विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण के पूर्वज छोटू व उसके वारीसान का कभी कब्जा नहीं रहा उसके बावजूद जो छोटू को नियमन किया गया व निरस्त किये जाने योग्य है। किसी भी व्यक्ति को नियमन जब किया जाता है जब वह उस आराजी पर काबिज काश्त रहा हो तथा सिवायचक आराजी पर भू–संशोधन के दौरान कोई जमाबंदी में नाम आया हो और भू–संशोधन को मान्यता नहीं मिलने के कारण पुनः नियमन किया गया हो तथा उसके विरूद्ध धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही की गयी हो अथवा कोई खसरा परिवर्तनशील में उसका नाम हो ऐसा कोई भी साक्ष्य आवंटन कमेटी के सक्षम नहीं था उसके बावजूद बिना कब्जे के नियमन आदेश पारित कर प्रावधानो के विपरीत नियमन किया गया है। प्रार्थी अभिभाषक ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 2002 पेज 16, आर. आर.टी. 2021 (2) पेज 1140, आर.आर.डी. 1982 पेज 441, आर.आर.डी 1982 पेज 237, आर.आर.टी. 2021(2) पेज 1305, आर.आर.टी 2021 (1) पेज 212, आर.आर.डी. 1982 पेज 497, आर.बी.जे. 1998 पेज 544, आर.आर.डी. 1983 पेज 334, आर.आर.डी.

जिला कलक्टर
अजमेर

1983 पेज 53 प्रस्तुत किये। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन कमेटी के द्वारा पारित नियमन आदेश दिनांक 24.05.1984 जो अप्रार्थीगण के पूर्वज छोटू को किया गया है को निरस्त किया जाकर उसके तहत दर्ज राजस्व रिकार्ड जो भी परिवर्तन किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है।

अभिभाषक अप्रार्थी 2, 3, 5 ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि वादग्रस्त आराजीयात चौसाला खसरा नम्बर 212 रकबा 0–03–10, खसरा नम्बर 215 रकबा 0–18–0 तथा 224 रकबा 2–14–0, जिसके वर्किंग खसरा नम्बर 271 रकबा 0–03–10, खसरा नम्बर 270 रकबा 0–18–0, खसरा नम्बर 270 रकबा 2–14–0 जिसके आधारभूत खसरा नम्बर 216 रकबा 0.16 हैक्टर, 359 रकबा 0.18 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 360 रकबा 0.24 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 0.58 हैक्टर ग्राम गनाहेडा तहसील पुष्कर में स्थित है जो अप्रार्थीगण जवाब कुनिन्दागण की खातेदारी में दर्ज है लेकिन उक्त आराजीयात पर प्रार्थी पूसानाथ द्वारा अवैधानिक रूप से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दरकिनार कर लठ के बल पर सन 2015 में अतिक्रमण कर लिया जिसके विरूद्ध जवाब कुनिन्दागण द्वारा तहसीलदार पुष्कर के समक्ष बेदखली हेतु प्रकरण संख्या 2/2015 प्रस्तुत किया गया जो विचाराधीन है, प्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है कतई असत्य है क्योंकि प्रार्थी पूसानाथ मात्र भू–माफिया होकर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की आराजीयात पर अतिक्रमी है क्योंकि उक्त आराजीयात दिनांक 24.5.1984 को जवाब कुनिन्दागण के पूर्वज छोटू पुत्र श्री लाखा काबिज काश्त चले आने के कारण उन्हे नियमन की गयी एवं नामान्तकरण संख्या 338 दिनांक 18.06.1984 को गैर खाते दर्ज की गयी तत्पश्चात श्री छोटू का स्वर्गवास होने पर उसकी विरासत का नामांतकरण संख्या 449 दिनांक 1.8.1992 को जवाब कुनिन्दागण के नाम तस्दीक कर अमल दरामद किया गया तब से लगातार काबिज काश्त चले आये लेकिन सन् 2015 में कुछ भू–माफियाओं से मिलकर प्रार्थी पूसानाथ द्वारा जबरन अतिक्रमण कर लिया गया जिसके विरूद्ध बेदखली हेतु प्रकरण तहसीलदार पुष्कर के समक्ष विचाराधीन है। इस प्रकार अनुसूचित जाति की भूमि पर प्रार्थी द्वारा अनाधिकृत अतिक्रमण किया गया है जिसकी आड में प्रार्थी द्वारा उक्त आवंटन/नियमन निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया संधारण योग्य नहीं होकर काबिल निरस्त योग्य है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा न्यायोचित रूप से जवाब कुनिन्दागण के पूर्वज छोटू पुत्र श्री लाखा को आराजीयात नियमित की जाकर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गए जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विधिक त्रुटि कारित होना सिद्ध नहीं है एवं अन्त्योदय चयनित योजना में चयनित गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्ति होने के कारण पूर्व से काबिज काश्त होने से जवाब कुनिन्दागण के पूर्वज श्री छोटू को आराजीयात नियमित की गयी है जिस पर प्रार्थी द्वारा भू–माफियाओं से मिलकर जबरन अतिक्रमण कर लेने के कारण बेदखली वाद भी विचाराधीन है। नियमन आदेश दिनांक 24.5.1984 से पूर्व छोटू पुत्र श्री लाखा का कब्जा काश्त होने के कारण राजस्व ऐजेन्सी द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भूमिहीन कृषक होने के कारण वर्षो से लगातार काबिज काश्त होने से उक्त आराजीत नियमित की गयी जो जवाब कुनिन्दागण के पूर्वज श्री छोटू द्वारा सिजारे पर काश्त करने हेतु सम्वत 2039 में पूसा को प्रदान की गयी थी जिसका नाजायज लाभ अर्जित करने के इरादे से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है लेकिन दिनांक 24.05.1984 अर्थात नियमन आदेश के पूर्व की कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे बरक्त नियमन जवाब कुनिन्दागण के पूर्वज

जिला कलक्टर
अजमेर

छोटू के अतिरिक्त प्रार्थी काबिज काश्त हो जिससे उक्त प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थी द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य रिकार्ड पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह स्पष्ट सिद्ध हो कि जवाब कुनिन्दागण के पूर्वज छोटू पुत्र श्री लाखा के पास नियमन आदेश दिनांक 24.05.1984 से पूर्व आवंटन/नियमन नियम 1970 के नियम 12 में वर्णित 10 एकड़ भूमि से अधिक आराजीयात खातेदारी में दर्ज हो। सन 2015 में पूसा द्वारा भू–माफियाओं के साथ मिलकर बल के बल पर जवाब कुनिन्दागण जो कि जाति से भाबी/मेघवंशी होकर अनुसूचित जाति के व्यक्ति है के मन में जान माल की क्षति कारित करने की ऐलानिया धमकी देकर खौफ फैलाकर जबरन अतिक्रमण कर लिया जिससे उनके विरुद्ध तहसीलदार पुष्कर के समक्ष बेदखली वाद विचाराधीन है। इसी कारण स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रार्थी पूसा द्वारा अतिक्रमण करने के कारण निरस्त कर दिया गया जिससे नियमन आदेश दिनांक 24.05.1984 पर किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव नही पडता है बल्कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार विद्वान भूमिधारक को अतिक्रमियों का बेदखल कर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को आवंटन/नियमनशुदा आराजीत पर काबिज करवाने बाबत स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित फरमाये गए है। पूसानाथ उक्त आराजीत खसरा नम्बर 268, व 269 (269 का प्रकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है) दिनांक 11.11.1975 को विक्रेता नानू पुत्र शम्भू, बख्तावर पुत्र छीतर व छोगा पुत्र शम्भू से क्रय करना बताकर आ रहा है जबकि वादग्रस्त आराजीयात उपरोक्त वर्णित केतागण के नाम खातेदारी हक से दर्ज ही नहीं थी तो किस आधार पर विक्रय कर सकते थे एवं यदि विक्रय पत्र में उक्त खसरा नम्बर अंकित भी कर दिये गए है तो तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 11.11.1975 शून्य विक्रय पत्र की परिभाषा में आता है। जिससे प्रार्थी पूसानाथ को किसी भी प्रकार के हक, अधिकार एवं स्तत्व निहित नही होते है। मात्र अनर्गल मनगढन्त तथ्य अंकित करते हुए अप्रार्थीगण की आराजीयात को हड़प करने की गरज से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं उसके सहयोगी अवैधानिक केता नानू पुत्र शम्भू, बख्तावर पुत्र छीतर व छोगा पुत्र शंभू को भी पक्षकार मुर्तिब नहीं किया गया है, जिससे उसके विरूद्ध भारी शास्ती आरोपित की जाकर उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे। भू–संशोधन के दौरान यदि किसी व्यक्ति का नाम जमाबंदी में दर्ज होता है तो उन्हें कीमतन नियमन की गयी है जबकि प्रस्तुत प्रकरण में जवाब कुनिन्दागण के पूर्वज छोटू पुत्र श्री लाखा सन 1984 के पूर्व से ही काबिज काश्त चले आने से वादग्रस्त आराजीयात आवंटन/नियमन सलाहकार समिति द्वारा समस्त नियमों की पालना करते हुए छोटू पुत्र श्री लाखा को नियमन की गयी जो कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति है की भूमि को संरक्षित किया जाना न्यायोचित है जिससे प्रार्थी को बेदखल किया जाकर भारी आर्थिक शास्ति आरोपित कर जवाब कुनिन्दागण को सन 2015 से निर्णय पारित फरमाने तक के समय की प्रार्थी से क्षतिपूर्ति दिलवाई जाना न्यायोचित है। वकील अप्रार्थी ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 2001 पेज 437, आर.आर.डी. 1995 पेज 156, डी.एन.जे. 1997 पेज 632, आर.आर.टी 2005 (1) पेज 86 प्रस्तुत किये। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

राजकीय पैरोकार ने दौराने बहस में निवेदन किया कि पत्रावली में उपलब्ध रेकॉर्ड एवं दस्तावेज अनुसार वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं होने से भूमि सिवायचक दर्ज की जावें।

जिला कलक्टर
अजमेर

से बाहर /

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से आवंटन कमेटी के नियमन आदेश दिनांक 24.05.1984 से पूर्व ही तथा आज तक विवादित आराजी पर प्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी का कब्जा हटाने के उद्देश्य से एक राजस्व वाद छोटू के वारीसान तोफी नाथू से प्रार्थी के विरूद्ध धारा 188 स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया था जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र संख्या 80/1993 तोफी बनाम पूसानाथ उनवान से था। उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 26.06.1999 द्वारा अप्रार्थी (पूसानाथ) का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त होना माना और प्रार्थीगण (तोफी व अन्य) का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में नायब तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मांगवायी गयी थी जो रिपोर्ट दिनांक 16.05.1998 की है साथ ही उगमा पुत्र नाथू जो वर्तमान अप्रार्थी संख्या 2 है के बयान दिनांक 15.05.1998 तथा छोटू के पुत्र मोहन के बयान दिनांक 15.05.1998 भी प्रार्थी के कब्जा की पुष्टि करते है तथा उक्त वाद दिनांक 22.09.2000 द्वारा खारिज कर दिया गया। तहसीलदार पुष्कर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 19.10.2023 के द्वारा वादग्रस्त आराजीयात पर पूसानाथ पुत्र श्री सुन्दरनाथ जाति नाथ निवासी गनाहेडा का कब्जा काश्त होना व मौके पर उक्त भूमि पर पूसानाथ द्वारा फसल काश्त की हुई होना तथा वादग्रस्त आराजियात पर पूसानाथ लगभग 40 से 45 वर्षो से काबिज होना व निवास करने बताया गया है। रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारान का मौके पर कब्जा काश्त नहीं होना अंकित किया गया है। अप्रार्थीगण ने अपने समर्थन में वादग्रस्त आराजियात पर कब्जे के सबंध में कोई साक्ष्य दस्तावेजात प्रस्तुत नही किए गए है, साथ ही अप्रार्थीगण ने आवंटन/नियमन की शर्तो की पालना नही की गई है।

अतः प्रार्थी का नियम 20(2) के तहत् प्रार्थना पत्र नियम 14(4) राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का उपरोक्त परिपेक्ष्य में स्वीकार कर ग्राम गनाहेडा तहसील पुष्कर जिला अजमेर के चौसाला खसरा नम्बर 212 भू–संशोधन खसरा नम्बर 271 रकबा 00–03–10, खसरा नम्बर 215 के भू–संशोधन खसरा नम्बर 270 रकबा 00–18–00, खसरा नम्बर 224 के भू–संशोधन के खसरा नम्बर 297 रकबा 02–14–00 का भूमि का अप्रार्थीयान के पूर्वज श्री छोटू पुत्र लाखा के हक में किया गया आवंटन/नियमन दिनांक 24.05.1984 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार पुष्कर को आदेश दिए जाते है कि हाल राजस्व रेकार्ड में भूमि सिवायचक जरिये नामान्तरकरण दर्ज करें। आदेश की प्रति तहसीलदार पुष्कर को पालनार्थ प्रेषित हो ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 20.10.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर, अजमेर